



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 639]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2016/भाद्र 18, 1938

No. 639]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2016/BHADRA 18, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 877(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 442 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (मध्यस्थता और सुलह), नियम, 2016 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
 - (क) “अधिनियम” से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;
 - (ख) “प्रादेशिक निदेशक” से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रादेशिक निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
 - (ग) “उपाबंध” से इन नियमों के साथ संलग्न उपाबंध अभिप्रेत है;
 - (घ) “प्ररूप” या “ई-प्ररूप” से उपाबंध में निर्धारित प्ररूप अभिप्रेत है जिसका उपयोग उससे संबंधित मामले के लिए किया जाएगा;
 - (ङ) “पैनल” से मध्यस्थता और सुलह पैनल अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के इस नियम में उपयुक्त है किंतु परिभाषित नहीं किया गया है और अधिनियम या कंपनी (परिभाषाओं व्यौरों के विनिर्देशन) नियम, 2014 में परिभाषित किए गए हैं, किंतु वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम या नियम में समनुदेशित हैं।

3. मध्यस्थों या सुलहकर्ताओं का पैनल.—

- (1) प्रादेशिक निदेशक अपने क्षेत्रों में मध्यस्थ या सुलहकर्ताओं के रूप में नियुक्ति के लिए इच्छुक या पात्र विशेषतज्ञों की एक पैनल तैयार करेगा और इस पैनल को कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली किसी अन्य वेबसाइट पर रखा जाएगा।

- (2) प्रादेशिक निदेशक मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में पैनलीकृत होने के हितबद्ध और नियम 4 में निर्दिष्ट अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति जो मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में पैनल में शामिल होना चाहता है और अपेक्षित अर्हताएं रखता है प्ररूप एमडीसी-1 में प्रादेशिक निदेशक को आवेदन करेगा।
- (4) यदि उप नियम (3) के अधीन प्राप्त कोई आवेदन प्रादेशिक निदेशक द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो प्रादेशिक निदेशक ऐसा करने के कारण लिखित में अभिलिखित करेगा।
- (5) प्रादेशिक निदेशक प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के दौरान मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में पैनलीकृत होने के हितबद्ध व्यक्ति से आवेदन आमंत्रित करेगा और इस पैनल को अद्यतन करेगा जो प्रति वर्ष 01 अप्रैल को प्रवृत्त होगी।
परंतु वित्त वर्ष 2016-17 के लिए प्रादेशिक निदेशक, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर, मध्यस्थता और सुलहकर्ता के पैनल में शामिल करने के लिए हितबद्ध व्यक्ति से आवेदन आमंत्रित कर सकेगा और उसके 30 दिनों के भीतर वर्तमान वित्त वर्ष के लिए पैनल तैयार करेगा।

4. पैनलीकृत के लिए अर्हताएं.—कोई भी व्यक्ति मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हता प्राप्त माना जाएगा जबकि वह:

- (क) भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो; या
- (ख) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो; या
- (ग) जिला और सेशन न्यायाधीश रहा हो; या
- (घ) तत्समय लागू किसी विधि के तहत राष्ट्रीय स्तर पर गठित किसी अधिकरण का सदस्य या रजिस्ट्रार रहा हो; या
- (ङ) भारतीय कारपोरेट विधिक सेवा या भारतीय विधिक सेवा में पंद्रह वर्ष का अनुभव रखने वाला अधिकारी; या
- (च) कम-से-कम दस वर्ष के अनुभव के साथ एक अर्हित विधि व्यवसायी है; या
- (छ) चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार या कंपनी सचिव के रूप में न्यूनतम पंद्रह वर्षों की लगातार व्यवसाय कर चुका व्यावसायिक रहा हो; या
- (ज) किसी राज्य उपभोक्ता फोरम का सदस्य या अध्यक्ष रहा हो; या
- (झ) मध्यस्थ या सुलह में विशेषज्ञ जिसने मध्यस्थता या सुलह में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

5. पैनलीकृत के लिए निरर्हताएं.—कोई व्यक्ति मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में पैनल में शामिल होने के निरर्हित माना जाएगा यदि वह:

- (क) उन्मोचित दिवालिया हो या उसने दिवालिया के रूप में अधिनिर्णय के लिए आवेदन किया है तथा उसका आवेदन लंबित है;
- (ख) ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो जो केन्द्रीय सरकार के विचार में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त से संबंधित है;
- (ग) सरकार या कारपोरेट के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत किया गया है या नियंत्रण वाले निगम की सेवा से हटाया गया हो;
- (घ) किसी समुचित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई में दंडित किया गया हो; या
- (ङ) केन्द्रीय सरकार की राय में विवाद की विषय-वस्तु या किसी पक्षकार के संबंध में कोई वित्तीय या अन्य हित रखता हो जिसका मध्यस्थ या सुलहकर्ता के अपने कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना है।

6. मध्यस्थकर्ता या सुलहकर्ता की नियुक्ति के लिए आवेदन और उसकी नियुक्ति.-

- (1) (क) संबंधित पक्षकार उनके बीच मध्यस्थता या सुलह के लिए एकल मध्यस्थकर्ता या सुलहकर्ता के नाम पर सहमत हो सकते हैं;
(ख) यदि दो या उससे अधिक पक्षकार हों और वे एकल मध्यस्थकर्ता या सुलहकर्ता से सहमत नहीं हो पा रहे हैं, तो केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपीलीय अधिकरण प्रत्येक पक्ष को मध्यस्थकर्ता या सुलहकर्ता नामित करने के लिए कह सकती है या केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपीलीय अधिकरण दोनों पक्षकारों के बीच मध्यस्थता या सुलह के लिए किसी मध्यस्थकर्ता या सुलहकर्ता, जैसा भी उचित समझे, नियुक्त कर सकती है।
- (2) केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपीलीय अधिकरण, जैसा भी मामला हो, को उनके समक्ष लंबित किसी कार्यवाही से संबंधित मामलों को मध्यस्थता या सुलह के लिए भेजने का आवेदन प्ररूप एमडीसी-2 में किया जाएगा और साथ ही एक हजार रुपए का शुल्क भी संलग्न किया जाएगा।

(3) उपनियम (2) के तहत आवेदन की प्राप्ति पर, केंद्रीय सरकार या अधिकरण या अपीलीय अधिकरण, पैनल से एक या उससे अधिक विशेषज्ञ नियुक्त करेंगे।

(4) केंद्रीय सरकार या अधिकरण या अपीलीय अधिकरण, जैसा भी मामला हो, जिसके समक्ष कोई कार्यवाही लंबित है, स्वप्रेरणा से, ऐसी कार्यवाही से संबंधित किसी मामले को, यदि पक्षों के हित में उचित समझे, मध्यस्थता या सुलह पैनल के विशेषज्ञों को भेज सकते हैं।

7. पैनल से हटाया जाना.—प्रादेशिक निदेशक किसी व्यक्ति को लिखित में कारण अभिलिखित करके और उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद पैनल से हटा सकता है।

8. पैनल से नाम वापस लेना.—यदि कोई व्यक्ति मध्यस्थ या सुलहकर्ता पैनल से अपना नाम वापस लेना चाहता है तो वह ऐसा करने के कारण दर्शाते हुए प्रादेशिक निदेशक को आवेदन कर सकता है तथा प्रादेशिक निदेशक ऐसा आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिन के अंदर उस आवेदन पर निर्णय लेगा और तदनुसार पैनल को अद्यतन करेगा।

9. कतिपय तथ्यों के प्रकटीकरण में मध्यस्थ या सुलहकर्ता का कर्तव्य.—(1) यह किसी मध्यस्थ या सुलहकर्ता का कर्तव्य होगा कि वह यथास्थिति केंद्रीय सरकार का अधिकरण या अपील अधिकरण, के समक्ष उन परिस्थितियों को प्रकट करे जिसके कारण उसके कार्यों के निर्वहन में सतर्कता या निष्पक्षता पर समुचित संदेह उत्पन्न होने की संभावना हो।

(2) प्रत्येक मध्यस्थ या सुलहकर्ता अविलंब, अपनी नियुक्ति के समय से और मध्यस्थता या सुलह संबंधी कार्यवाहियों के जारी रहने के दौरान पक्षकारों को उपनियम (1) में उल्लिखित परिस्थिति की मौजूदगी का प्रकटीकरण करेगा।

10. नियुक्ति का प्रत्याहरण.—किसी कार्यवाही में नियम 9 के अधीन मध्यस्थ या सुलहकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रकटीकरण प्राप्त होने पर या किसी पक्षकार या अन्य व्यक्ति से प्राप्त किसी अन्य सूचना के आधार पर, यदि यथास्थिति केंद्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण, जहां कार्यवाही लंबित है, समाधान है कि ऐसी सूचना ऐसे मध्यस्थ या सुलहकर्ता की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के संबंध में यथोचित संदेह उत्पन्न करती है, तो वह नियुक्ति प्रत्याहरण ले सकते हैं तथा उस कार्यवाही उनके स्थान पर किसी अन्य मध्यस्थ या सुलहकर्ता की नियुक्ति कर सकते हैं;

परंतु मध्यस्थ या सुलहकर्ता स्वयं कार्यवाहियों में भाग न लेने की प्रत्याहरित कर सकता है तथा केंद्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण से अन्य मध्यस्थ या सुलहकर्ता नियुक्त करने का अनुरोध कर सकता है।

11. मामलों के निपटान की प्रक्रिया.—(1) मध्यस्थ या सुलह के प्रयोजनों के लिए मध्यस्थ या सुलहकर्ता निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, अर्थात् :

- (i) वह पक्षकारों से परामर्श करके प्रत्येक मध्यस्थ या सुलह सत्र की तारीख और समय निर्धारित करेगा, जहां सभी पक्षकारों को उपस्थित होना है;
- (ii) वह यथास्थिति केंद्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण, द्वारा निर्धारित किसी स्थान पर या ऐसे अन्य स्थान पर जहां पक्षकार और मध्यस्थ या सुलहकर्ता संयुक्त रूप से सम्मति हों मध्यस्थता या सुलह अधिवेशन का आयोजन करेगा;
- (iii) वह पक्षकारों के साथ संयुक्त रूप से या अलग-अलग अधिवेशनों पर कर सकता है;
- (iv) प्रत्येक पक्षकार सत्र से दस दिन पहले मध्यस्थ या सुलहकर्ता को एक संक्षिप्त ज्ञापन सौंपेगा जिसमें उठाए जाने वाले मुद्दे, जिनका सुलह करना अपेक्षित है, बताते हुए और इन मुद्दों के संबंध में उसकी स्थिति तथा विषय को समझने के लिए मध्यस्थ या सुलहकर्ता के लिए अपेक्षित सभी सूचना उपलब्ध कराएगा तथा ऐसे ज्ञापन की एक प्रतिलिपि विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को भी दी जाएगी;

परंतु, उपयुक्त या समुचित मामलों में मध्यस्थ या सुलहकर्ता के विवेक से उपर्युक्त अवधि को कम किया जा सकता है;

- (v) प्रत्येक पक्षकार मध्यस्थ या सुलहकर्ता को ऐसी अन्य सूचना भी उपलब्ध कराएगा जो मुद्दे के समाधान के लिए उसे अपेक्षित हो।

(2) जहां किसी मामले में एक से अधिक मध्यस्थ या सुलहकर्ता हो तो वहां मध्यस्थ या सुलहकर्ता पहले उस पक्षकार के साथ सहमत होंगे जिसने उसने नामित करने के लिए सहमति दी है और उसके पश्चात् विवाद का निपटान करने के लिए अन्य मध्यस्थ या सुलहकर्ता के साथ बातचीत करेंगे।

12. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की सीमा में न आने वाले मध्यस्थ या सुलहकर्ता.—मध्यस्थ या सुलहकर्ता मामलों का निपटान करने में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा बाध्य नहीं होगा किंतु, वह पक्षकारों के अधिकारों तथा दायित्वों, व्यापार के प्रचलनों, यदि कोई हो, तथा विवाद (विवादों) की परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए, निष्पक्षता तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से मार्गदर्शित होगा।

13. पक्षकारों का प्रतिनिधित्व.—सभी पक्षकार साधारणतः मध्यस्थ या सुलहकर्ता द्वारा अधिसूचित सत्रों या अधिवेशनों में व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत अटॉर्नी के माध्यम से उपस्थित होंगे:

परंतु, ऐसे सत्रों या अधिवेशनों में मध्यस्थ या सुलहकर्ता की अनुज्ञा से किसी प्राधिकृत व्यक्ति या अधिवक्ता द्वारा उन पक्षकारों का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है और यथास्थिति मध्यस्थ या सुलहकर्ता या केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण को, किसी पक्षकार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निदेश देने या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का अधिकार होगा:

परंतु यह और कि, जो पक्षकार भारत में नहीं रहते हैं वे मध्यस्थ या सुलहकर्ता की अनुमति से सत्रों या अधिवेशनों में अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं।

14. सम्यक तारीखों पर सत्रों या अधिवेशनों में पक्षकारों की अनुपस्थिति के परिणाम.—यदि कोई पक्षकार, मध्यस्थ या सुलहकर्ता द्वारा अधिसूचित सत्रों या अधिवेशन में लगातार दो अवसरों पर सोच समझकर या जानबूझकर उपस्थित नहीं होता है तो मध्यस्थ या सुलहकर्ता को विफल समझा माना जाएगा और यथास्थिति केंद्रीय सरकार, अधिकरण या अपीलीय अधिकरण को, मामले की रिपोर्ट देगा।

15. प्रशासनिक सहायता.—मध्यस्थ या सुलह संबंधी कार्यवाहियों का संचालन करने के लिए मध्यस्थ या सुलहकर्ता, पक्षकारों की सम्मति से उपयुक्त संस्थान या व्यक्ति द्वारा प्रशासनिक सहायता का प्रबंध कर सकते हैं।

16. पक्षकारों द्वारा सुलह की प्रस्थापना.—(1) कार्यवाही में कोई पक्षकार कार्रवाई के किसी भी स्तर पर मध्यस्थ या सुलहकर्ता को नोटिस देकर अन्य पक्षकार को “बिना किसी पूर्वाग्रह” सुलह का प्रस्थापना कर सकता है।

(2) आवेदन से संबंधित कोई पक्षकार “पूर्वाग्रह के साथ”, मध्यस्थ या सुलहकर्ता को नोटिस देते हुए, कार्यवाहियों के किसी भी चरण पर किसी अन्य पक्षकार को समझौते की प्रस्थापना दे सकता है।

17. मध्यस्थ या सुलहकर्ता की भूमिका.—मध्यस्थ या सुलहकर्ता, पक्षकारोंद्वारा विवाद के स्वैच्छिक सुलह के लिए प्रयत्न करेगा तथा प्रत्येक पक्षकार के दृष्टिकोण को अन्य पक्षकार तक संसूचित करेगा, मुद्दों की पहचान कर गलतफहमियां कम करने, प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने, समझौते के क्षेत्रों का पता लगाने तथा विवाद के निपटान करने के लिए विकल्प प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा इसमें इस बात पर बल देते हुए कि उन्हें प्रभावित करने वाला निर्णय लेना पक्षकारों की जिम्मेवारी है और वह पक्षकारों पर निपटारे के निबंधित अधिरोपित नहीं करेगा:

परंतु यदि दोनों पक्षकार सम्मति हैं तो मध्यस्थ या सुलहकर्ता विवाद के शीघ्र निपटान के लिए पक्षकारों पर ऐसे नियम और शर्तें, जैसा उसे ठीक होता हो, लागू कर सकता है।

18. निर्णय लेने के लिए पक्षकार अकेले उत्तरदायी हैं.—पक्षकारों को यह बात समझाई जाएगी कि मध्यस्थ या सुलहकर्ता विवाद को निपटाने के लिए किसी निर्णय पर पहुंचने में सहायता करता है तथा वह कोई परिनिर्धारण लागू नहीं करेगा या थोप नहीं सकता और न ही मध्यस्थ या सुलहकर्ता कोई आश्वासन दे सकता है कि मध्यस्थता या सुलह से कोई परिनिर्धारण होगा और मध्यस्थ या सुलहकर्ता, पक्षकारों पर कोई निर्णय नहीं थोपेगा।

19. मध्यस्थता या सुलह पूरा करने की समय-सीमा.—(1) इन नियमों के अधीन मध्यस्थता या सुलह की प्रक्रिया, मध्यस्थता या सुलह पैनल से विशेषज्ञ या विशेषज्ञों की नियुक्ति की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

(2) पैनल से विशेषज्ञ की नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि समाप्त होने पर मध्यस्थता या सुलह की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।

(3) अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष किसी भी प्रक्रिया के संबंध में यदि मध्यस्थता या सुलहकर्ता तीन माह के भीतर समाप्त नहीं की जा सकी हो तो अधिकरण या यथास्थिति अपील अधिकरण, मध्यस्थ या सुलहकर्ता या कार्यकारी के किसी पक्षकार के आवेदन पर मध्यस्थता या सुलहकर्ता के लिए अवधि ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं जो तीन माह से अधिक न हो।

20. पक्षकारों द्वारा सदभाव से कार्य करना.—सभी पक्षकार विवाद को यथासमय निपटान के लिए कार्यवाहियों में सदभाव से भाग लेने के लिए वचनबद्ध होंगे।

21. सूचना की गोपनीयता, प्रकटीकरण तथा अस्वीकार्यता.—(1) जब मध्यस्थ या सुलहकर्ता किसी पक्षकार से विवाद के विषय में तथ्यात्मक सूचना प्राप्त करता है तो वह दूसरे पक्षकार को ऐसी सूचना के सार का प्रकटीकरण करेंगे ताकि अन्य पक्षकार को ऐसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का मौका मिल सके जो वह विचार समझे:

परंतु जब कोई पक्षकार इस विशिष्ट शर्त पर मध्यस्थ या सुलहकर्ता को सूचना देता है कि इसे गोपनीय रखा जाए, तब मध्यस्थ या सुलहकर्ता अन्य पक्षकार को सूचना का प्रकटीकरण नहीं करेगा।

(2) मध्यस्थ या सुलहकर्ता विस्तार को उस क्षमता में कार्य करते हुए अभिलेखी, रिपोर्टों या अन्य दस्तावेजों को प्राप्त या ज्ञात या तैयारी गोपनीय रखी जाएगी तथा मध्यस्थ या सुलहकर्ता को, दस्तावेज संबंधी सूचना और मध्यस्थ या सुलह के दौरान हुए घटनाक्रम को यथास्थिति केंद्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण या अन्य प्राधिकरण या अन्य व्यक्ति या व्यक्ति-समूहों के समक्ष प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

(3) पक्षकार, मध्यस्थता या सुलह के दौरान घटित घटनाक्रम के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेंगे तथा अन्य कार्यवाहियों में ऐसी सूचना पर निर्भर नहीं रहेंगे या उसे प्रस्तुत नहीं करेंगे जैसे कि:

- (i) मध्यस्थता या सुलह संबंधी कार्यवाहियों के दौरान पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त दृष्टिकोण;

- (ii) मध्यस्थता या सुलह के दौरान प्राप्त किए गए दस्तावेज, जो गोपनीय रखे जाने के लिए अपेक्षित थे, या पक्षकार, मध्यस्थ या सुलहकर्ता द्वारा दिए गए अन्य टिप्पणी, प्रारूप या सूचना;
 - (iii) मध्यस्थ या सुलहकर्ता द्वारा दिए गए प्रस्थापना या अभिव्यक्त दृष्टिकोण;
 - (iv) मध्यस्थता या सुलह संबंधी कार्यवाहियों के दौरान किसी पक्षकार द्वारा दी गई स्वीकृति;
- (4) मध्यस्थता या सुलह की कोई दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी।

(5) मध्यस्थ या सुलहकर्ता द्वारा पक्षकारों के बयान या साक्षियों की अभिलिखत नहीं की जाएगी।

22. एकांतता.—मध्यस्थता या सुलह सत्रों या अधिवेशनों का आयोजन एकांतता में किया जाएगा, जहां नियम 13 में उल्लिखित व्यक्ति पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने के हकदार होंगे तथापि अन्य व्यक्ति सदस्य पक्षकारोंकी अनुमति तथा मध्यस्थ या सुलहकर्ता की सहमति से ही उपस्थित हो सकते हैं।

23. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.—किसी भी मध्यस्थ या सुलहकर्ता को सिविल या दांडिक कार्रवाई के लिए मध्यस्थ या सुलह संबंधी कार्यवाहियों के दौरान सदभाव से किए गए कार्य या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और न ही मध्यस्थ या सुलह संबंधी कार्यवाहियों के दौरान उसके द्वारा प्राप्त सूचना या उसके द्वारा की गई कार्रवाई की जांच करने या उसके द्वारा तैयार व प्रस्तुत प्रारूप या अभिलेखों के लिए उसे किसी वाद या कार्यवाही के लिए किसी पक्षकार द्वारा, केंद्रीय सरकार यथास्थिति अधिकरण या अपील अधिकरण, के समक्ष प्रस्तुत होने का समन दिया जाएगा।

24. मध्यस्थ या सुलहकर्ता और केंद्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण के मध्य संसूचना.—केंद्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण, में पक्षकारों का विश्वास तथा मध्यस्थ या सुलहकर्ता की तटस्थता बनाए रखने के लिए मध्यस्थ या सुलहकर्ता तथा केंद्रीय सरकार यथास्थिति या अधिकरण या अपील अधिकरण, के मध्य विषय वस्तु के संबंध में कोई संवाद नहीं होगा:

परंतु यदि मध्यस्थ या सुलहकर्ता और यथास्थिति केंद्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण, के मध्य कोई संसूचना अपेक्षित हो तो यह संवाद लिखित रूप में किया जाएगा तथा इसकी प्रतियां पक्षकारों या प्राधिकृत प्रतिनिधियों को दी जाएगी:

परंतु यह और कि मध्यस्थ या सुलहकर्ता तथा केंद्रीय सरकार या अधिकरण या अपीलीय अधिकरण, के मध्य संसूचना, मध्यस्थ या सुलहकर्ता द्वारा निम्नलिखित के बारे में संवाद करने के लिए सीमित किया जाएगा:

- (i) पक्षकार की अनुपस्थिति के बारे में;
- (ii) पक्षकार की सम्मति के बारे में;
- (iii) उसके निर्धारण के संबंध में कि यह मामला मध्यस्थता या सुलह द्वारा परिनिर्धारण के उपयुक्त नहीं है;
- (iv) पक्षकारों के मध्य विवाद के निपटान के बारे में।

25. परिनिर्धारण करार.—(1) जहां कार्यवाही में सभी मुद्दों या कुछ मुद्दों के संबंध में पक्षकारों के मध्य में कोई सहमति होती है वहां इसे लिखित रूप दिया जाएगा तथा पक्षकारों द्वारा इसे हस्ताक्षरित किया जाएगा और यदि किसी काउंसिल ने पक्षकारों का प्रतिनिधित्व किया है तब मध्यस्थ या सुलहकर्ता परिनिर्धारण करार पर उनके भी हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

(2) पक्षकारों द्वारा इस प्रकार हस्ताक्षरित परिनिर्धारण करार मध्यस्थ या सुलहकर्ता के पास दाखिल किया जाएगा जो करार को उसके द्वारा हस्ताक्षरित अग्रपत्र के साथ लिफाफे में यथास्थिति केंद्रीय सरकार या अधिकरण या अपीलीय अधिकरण, को अग्रेषित करेगा।

(3) जहां नियम 19 में दी गई समय सीमा से पहले पक्षकारों के मध्य कोई परिनिर्धारण नहीं होता है या जहां मध्यस्थ या सुलहकर्ता का मानना हो कि कोई करार संभव नहीं है वहां वह इसकी जानकारी लिखित रूप में यथास्थिति केंद्रीय सरकार या अधिकरण, अपील अधिकरण को देगा।

26. परिनिर्धारण को अभिलेखित करने तथा आदेश पारित करने के लिए तारीख नियत करना.—(1) यथास्थिति केंद्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण, नियम 25 के तहत मध्यस्थ या सुलहकर्ता से रिपोर्ट प्राप्त होने के सामान्यतः चौदह दिन के भीतर सुनवाई की तारीख नियत करेगा और सुनवाई की ऐसी तारीख पर, यदि यथास्थिति केंद्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण, समाधान हो कि पक्षकारों ने अपने विवाद का निपटारा कर लिया है तो वह उसके नियमों के अनुसार एक आदेश पारित करेगा।

(2) यदि वाद या कार्यवाहियों में उठे कतिपय मुद्दों पर ही परिनिर्धारण होता है तब यथास्थिति केंद्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण उपनियम (1) में उल्लिखित अनुसार, जिसके आधार पर कोई आदेश पारित किया गया है, शेष मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए कार्यवाही करेंगे।

27. मध्यस्थता और सुलह का व्यय.—(1) विवाद को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के पास भेजते समय, यथास्थिति केंद्रीय सरकार या अधिकरण या अपीलीय अधिकरण, मध्यस्थ या सुलहकर्ता फीस नियत कर सकती है और जहां तक संभव हो, प्रत्येक सत्र या अधिवेशन के लिए पारिश्रमिक देने की बजाए एक समेकित राशि तय की जाएगी।

(2) मध्यस्थ या सुलहकर्ता के फीस समेत मध्यस्थ या सुलह के व्यय, प्रशासनिक सहयोग की लागत, तथा संबंधित अन्य आनुषंगिक व्यय, विभिन्न प्रतियोगी पक्षकारों द्वारा समान रूप से या जैसा कि केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण द्वारा निदेशित किया जाए, वहन किया जाएगा।

(3) प्रत्येक पक्षकार विशेषज्ञों सहित अपनी ओर से साक्षियों या दस्तावेजों को पेश करने की लागत वहन करेगा।

(4) मध्यस्थ या सुलहकर्ता, मध्यस्थता या सुलह के आरंभ होने से पहले, मध्यस्थ या सुलहकर्ता को पारिश्रमिक राशि या मध्यस्थता या सुलह की संभावित लागत के बराबर हिस्से को जमा करने का निदेश पक्षकारों को दे सकता है।

(5) यदि कोई पक्षकार उपनियम (4) में उल्लिखित राशि का संदाय नहीं करता है तब यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण, मध्यस्थ या सुलहकर्ता या किसी पक्षकार के आवेदन पर, संबंधित पक्षकारों को समुचित निदेश जारी करेगी।

(6) मध्यस्थता या सुलह केवल उपनियम (4) में उल्लिखित राशि को जमा करवाने पर ही प्रारंभ होगी और यदि ऐसे प्रारंभ से पहले राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो मध्यस्थता या सुलह समाप्त माना जाएगा।

28. मध्यस्थ या सुलहकर्ता द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतिपरक.—मध्यस्थ या सुलहकर्ता:

- (क) सख्ती और पूरी सतकता से इन नियमों का अनुसरण और अनुपालन करेगा;
- (ख) ऐसी कोई कार्यकलाप या आचरण नहीं करेगा जो समुचित रूप से मध्यस्थ या सुलहकर्ता का विचारणीय आचरण करेगा;
- (ग) मध्यस्थता या सुलह प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता बनाए रखेगा;
- (घ) सुनिश्चित करेगा कि मध्यस्थता या सुलह में अंतर्विलित पक्षकारों को उचित रूप से सूचना दी जाती है तथा उन्हें प्रक्रिया की प्रक्रियात्मक पहलुओं की पर्याप्त जानकारी है;
- (ङ) यह स्वयं पुष्टि करे कि वह व्यवसायिक रूप से नियत कार्य की उत्तरदायी लेने तथा उसे पूरा करने के अर्हित है;
- (च) किसी हित या संबंधों का प्रकटीकरण करेगा जो निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं या जो पक्षपात या पूर्वाग्रह की संभावना उत्पन्न कर सकते हैं;
- (छ) पक्षकारों के साथ संसूचना में अनौचित्य या अनौचित्य की संभावना दूर करेगा;
- (ज) मध्यस्थ या सुलहकर्ता के दायित्व पर लागू विश्वास और गोपनीयता के प्रति निष्ठावान रहेगा;
- (झ) विवाद के सुलह से संबंधित सभी कार्यवाहियों का संचालन सुसंगत प्रवृत्त विधि के अनुसार करेगा;
- (ञ) यह विश्वास करेगा कि मध्यस्थ या सुलह, पक्षकारों द्वारा स्व-निर्धारण के सिद्धांतों पर आधारित है तथा मध्यस्थता या सुलह की प्रक्रिया, स्वैच्छिक गुप्त करार प्राप्त करने के लिए पक्षकारों की क्षमता पर निर्भर है; और
- (ट) गोपनीयता के संबंध में पक्षकारों की उचित अपेक्षाओं को बनाए रखेगा और परिणाम का वादा करने या गारंटी देने से दूर रहेगा।
परंतु कि यदि कोई पक्षकार यह पाता है कि मध्यस्थकर्ता या सुलहकर्ता का आचरण इस नियम में निर्धारित आचरणीय नीति का उल्लंघन कर रहा है, तो वह प्रादेशिक निदेशक को इसकी सूचना तत्काल दे।

29. मध्यस्थ या न्यायिक कार्यवाहियों का अभिगम लेना.—कोई भी पक्ष, इन नियमों के तहत मध्यस्थता या सुलह के दौरान, किसी मामले, जो कि मध्यस्थता या सुलह की विषयवस्तु है, के लिए कोई मध्यस्थ न्यायिक कार्यवाही शुरू नहीं करेगा, सिवाय इसके कि कोई पक्षकार मध्यस्थ या न्यायिक कार्यवाही का आरंभ कर सकता है जहां उसके मतानुसार ऐसी कार्यवाही उसके अधिकार को संरक्षित करने लिए अपेक्षित हैं।

30. मध्यस्थता या सुलह पैनल के नहीं भेजे जाने वाले मामले.—निम्नलिखित मामले मध्यस्थता या सुलह के लिए नहीं भेजे जाएंगे:-

- (क) इस अधिनियम के अध्याय-XIV के अधीन निरीक्षण या अन्वेषण संबंधी कार्यवाहियों से संबंधित मामले; या वे मामले जो चूक या अपराध से संबंधित हों जिसके लिए एक या अधिक पक्षकारों ने समझौते के लिए आवेदन किया हो।
- (ख) वे मामले जिनमें कपट जाली दस्तावेज गढ़ना, कूटरचना, प्रतिरूपण, प्रपीडन के गंभीर और विनिर्दिष्ट अभिकथित अंतर्विलित हैं।
- (ग) वे मामले जिनमें दांडिक और गैर-प्रशमनीय अपराधों के लिए अभियोजन अंतर्विलित है।
- (घ) वे मामले जिसमें लोकहित या असंख्य व्यक्ति जो यथास्थिति केन्द्रीय सरकार, या अधिकरण या अपील अधिकरण, के समक्ष पक्षकार नहीं हैं, का हित अंतर्विलित हो।

प्ररूप एमडीसी-1

[कंपनी (मध्यस्थता और सुलह) नियम, 2016 का नियम 3(3) देखें]

मध्यस्थ या सुलहकर्ता को पैनल में शामिल करने का आवेदन

सेवा में,

प्रादेशिक निदेशक

.....

.....

मैं _____ सुपुत्र या सुपुत्री या पत्नी* श्री _____ आवास _____
 _____ (पता) अपनी सेवाओं को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में प्रस्तुत करना चाहता
 हूँ ताकि केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर प्रस्तुत नियम कार्यों या मुद्दों पर कार्य कर सकूँ।

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

मैं पिछले _____ वर्षों से निम्नलिखित क्षेत्रों में अपेक्षित अर्हता और अनुभव रखता हूँ, इस संबंध में मेरा संक्षिप्त विवरण या व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसमें मेरी अर्हता, अनुभव, प्रांसगिक सबूत और घोषणापत्र सहित उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित दो सेटों में संलग्न है।

संक्षेप में अनुभव का क्षेत्र

मैं कंपनी (मध्यस्थता और सुलह) नियम, 2014 और ऐसे अन्य सुसंत नियमों या आचार संहिता या दिशानिर्देशों का पालन करूंगा जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।

मैं यह कथित करता हूँ कि पैनलीकृत के प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होते ही, आवश्यक दस्तावेजों को भी निष्पादित किया जाएगा।

मैं आपसे पैनल में पैनलीकृत के लिए मेरे आवेदन पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर

तारीख:

अनुलग्नक:

(मुहर)

*जो लागू नहीं होता, उसे हटा दें।

प्ररूप एमडीसी-2

[कंपनी (मध्यस्थता और सुलह) नियम, 2016 का नियम 6(2) देखें]

पैनल को मामला निर्दिष्ट का आवेदन

सेवा में,

(अभिहित अधिकारी)

केन्द्रीय सरकार/अधिकरण/अपील अधिकरण

में _____ सुपुत्र या सुपुत्री या पत्नी श्री _____ आवास
 _____ (पता) अधिनियम की धारा _____ के अधीन

केन्द्रीय सरकार/अधिकरण/अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाही, संदर्भ संख्या _____ (यदि कोई हो) में एक पक्षकार होने के नाते इस मामले को मध्यस्थ और सुलह के पैनल में भेजने का आवेदन करता हूं।

_____ (प्रदत्त फीस का ब्यौरा) के द्वारा अपेक्षित फीस का संदत्त कर दिया गया है।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं होता: उसे हटा दें।

[फा. सं.-1/36/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th September, 2016

G.S.R. 877 (E).—In exercise of the powers conferred under section 442 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely :

1. Short Title and Commencement .—(1) These rules may be called the Companies (Mediation and Conciliation) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions .—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (b) “Regional Director” means the person appointed by the Central Government in the Ministry of Corporate Affairs as a Regional Director ;
- (c) “Annexure” means the annexure attached to these rules ;
- (d) “Form” or “e-Form” means a form set forth in the Annexure which shall be used for the matter to which it relates ;
- (e) “Panel” means the Mediation and Conciliation Panel.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the rules.

3. Panel of mediators or conciliators .— (1) Regional Director shall prepare a panel of experts willing and eligible to be appointed as mediators or conciliators in the respective regions and such panel shall be placed on the website of the Ministry of Corporate Affairs or on any other website as may be notified by the Central Government.

(2) The Regional Director may invite applications from persons interested in getting empanelled as mediator or conciliator and possessing the requisite qualifications specified in Rule 4.

(3) A person who intends to get empanelled as mediator or conciliator and possesses the requisite qualifications shall apply to the Regional Director in Form MDC-1.

(4) Application received under sub-rule (3), if rejected by the Regional Director, the Regional Director shall record the reasons in writing for the same.

(5) The Regional Director shall invite applications from persons interested in getting empanelled as mediator or conciliator every year during the month of February and update the Panel which shall be effective from 1st of April of every year:

Provided that for Financial Year 2016-17, the Regional Director may call for applications from the persons interested in getting empanelled as mediator or conciliator, within 60 days from the date of publication of these rules and prepare the panel for the current financial year within a period of 30 days.

4. Qualifications for empanelment.—A person shall not be qualified for being empanelled as mediator or conciliator unless he —

- (a) has been a Judge of the Supreme Court of India ; or
- (b) has been a Judge of a High Court ; or
- (c) has been a District and Sessions Judge ; or
- (d) has been a Member or Registrar of a Tribunal constituted at the National level under any law for the time being in force ; or
- (e) has been an officer in the Indian Corporate Law Service or Indian Legal Service with fifteen years experience ; or
- (f) is a qualified legal practitioner for not less than ten years ; or
- (g) is or has been a professional for at least fifteen years of continuous practice as Chartered Accountant or Cost Accountant or Company Secretary ; or
- (h) has been a Member or President of any State Consumer Forum ; or
- (i) is an expert in mediation or conciliation who has successfully undergone training in mediation or conciliation.

5. Disqualifications for empanelment.—A person shall be disqualified for being empanelled as mediator or conciliator, if he —

- (a) is an undischarged insolvent or has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending ;
- (b) has been convicted for an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude ;
- (c) has been removed or dismissed from the service of the Government or the Corporation owned or controlled by the Government ;
- (d) has been punished in any disciplinary proceeding, by the appropriate disciplinary authority ; or
- (e) has, in the opinion of the Central Government, such financial or other interest in the subject matter of dispute or is related to any of the parties, as is likely to affect prejudicially the discharge by him of his functions as a mediator or conciliator.

6. Application for appointment of Mediator or Conciliator and his appointment -

- (1) (a) Parties concern may agree on the name of the sole mediator or conciliator for mediation or conciliation between them;
- (b) Where, there are two or more sets of parties and are unable to agree on a sole mediator or conciliator, the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal may ask each party to nominate the mediator or conciliator or the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal may appoint the mediator or conciliator, as may be deemed necessary for mediation or conciliation between the parties.

(2) The application to the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, for referring the matter pertaining to any proceeding pending before it for mediation or conciliation shall be in Form MDC-2 and shall be accompanied with a fee of one thousand rupees.

(3) On receipt of an application under sub-rule (2), the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal shall appoint one or more experts from the panel.

(4) The Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, before which any proceeding is pending may, *suo motu*, refer any matter pertaining to such proceeding to such number of experts from the Mediation and Conciliation Panel, if it deems fit in the interest of parties.

7. Deletion from the Panel .— The Regional Director may by recording reasons in writing and after giving him an opportunity of being heard, remove any person from the Panel.

8. Withdrawing name from Panel.—Any person who intends to withdraw his name from the Mediation and Conciliation Panel may make an application to the Regional Director indicating the reasons for such withdrawal and the Regional Director shall take a decision on such application within fifteen days of receipt of such application and update the Panel accordingly.

9. Duty of mediator or conciliator to disclose certain facts.—(1) It shall be the duty of a mediator or conciliator to disclose to the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, about any circumstances which may give rise to a reasonable doubt as to his independence or impartiality in carrying out his functions.

(2) Every mediator or conciliator shall from the time of his appointment and throughout continuance of the mediation or conciliation proceedings, without any delay, disclose to the parties about existence of any circumstance referred to in sub-rule (1).

10. Withdrawal of appointment .—The Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal as the case may be, upon receiving any disclosure furnished by the mediator or conciliator under rule 9, or after receiving any other information from a party or other person in any proceeding which is pending and on being satisfied that such disclosures or information has raised a reasonable doubt as to the independence or impartiality of such mediator or conciliator, may withdraw his appointment and in his place, appoint any other mediator or conciliator in that proceeding :

Provided that the mediator or conciliator may, offer to withdraw himself from such proceeding and request the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal as the case may be to appoint any other mediator or conciliator.

11. Procedure for disposal of matters .—(1) For the purposes of mediation and conciliation, the mediator or conciliator shall follow the following procedure, namely :-

(i) he shall fix, in consultation with the parties, the dates and the time of each mediation or conciliation session, where all parties have to be present ;

(ii) he shall hold the mediation or conciliation at the place decided by the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, or such other place where the parties and the mediator or conciliator jointly agree ;

(iii) he may conduct joint or separate meetings with the parties ;

(iv) each party shall, ten days before a session, provide to the mediator or conciliator a brief memorandum setting forth the issues, which need to be resolved, and his position in respect of those issues and all information reasonably required for the mediator or conciliator to understand the issue and a copy of such memorandum shall also be given to the opposite party or parties:

Provided that in suitable or appropriate cases, the above mentioned period may be reduced at the discretion of the mediator or conciliator;

(v) each party shall furnish to the mediator or conciliator such other information as may be required by him in connection with the issues to be resolved.

(2) Where there is more than one mediator or conciliator, the mediator or conciliators may first concur with the party that agreed to nominate him and thereafter interact with the other mediator or conciliator, with a view to resolve the dispute.

12. Mediator or Conciliator not bound by the Indian Evidence Act, 1872 or the Code of Civil Procedure, 1908 .— The mediator or conciliator shall not be bound by the Indian Evidence Act, 1872 or the Code of Civil Procedure, 1908 while disposing the matter, but shall be guided by the principles of fairness and natural justice, having regard to the rights and obligations of the parties, usages of trade, if any, and the circumstances of the dispute.

13. Representation of parties.— The parties shall ordinarily be present personally or through an authorised attorney at the sessions or meetings notified by the mediator or conciliator:

Provided that the parties may be represented by an authorised person or counsel with the permission of the mediator or conciliator in such sessions or meetings and the mediator or conciliator or the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal as the case may be, shall be entitled to direct or ensure the presence of any party to appear in person:

Provided further that the party not residing in India may, with the permission of the mediator or conciliator, be represented by his or her authorised representative at the sessions or meetings.

14. Consequences of non-attendance of parties at sessions or meetings on due dates.—If a party fails to attend a session or a meeting fixed by the mediator or conciliator deliberately or wilfully for two consecutive times, the mediation or conciliation shall be deemed to have failed and mediator or conciliator shall report the matter to the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be.

15. Administrative assistance.— In order to facilitate the conduct of mediation or conciliation proceedings, the mediator or conciliator with the consent of the parties, may arrange for administrative assistance by a suitable institution or person.

16. Offer of settlement by parties.—(1) Any party to the proceeding may, “without prejudice” offer a settlement to the other party at any stage of the proceedings, with a notice to the mediator or conciliator.

(2) Any party to the proceeding may make a, “with prejudice” offer to the other party at any stage of the proceedings with a notice to the mediator or conciliator.

17. Role of Mediator or Conciliator .— The mediator or conciliator shall attempt to facilitate voluntary resolution of the dispute by the parties, and communicate the view of each party to the other, assist them in identifying issues, reducing misunderstandings, clarifying priorities, exploring areas of compromise and generating options in an attempt to resolve the dispute, emphasising that it is the responsibility of the parties to take decision which affect them and he shall not impose any terms of settlement on the parties :

Provided that on consent of both the parties, the mediator or conciliator may impose such terms and conditions on the parties for early settlement of the dispute as he may deem fit.

18. Parties alone responsible for taking decision.—The parties shall be made to understand that the mediator or conciliator facilitates in arriving a decision to resolve the dispute and that he shall not and cannot impose any settlement nor the mediator or conciliator give any assurance that the mediation or conciliation shall result in a settlement and the mediator or conciliator shall not impose any decision on the parties.

19. Time limit for completion of mediation or conciliation.— (1) The process for any mediation or conciliation under these rules shall be completed within a period of three months from the date of appointment of expert or experts from the Panel.

(2) On the expiry of three months from the date of appointment of expert from the Panel, the mediation or conciliation process shall stand terminated.

(3) In case of mediation or conciliation in relation to any proceeding before Tribunal or Appellate Tribunal which could not be completed within three months, the Tribunal or as the case may be, the Appellate Tribunal, may on the application of mediator or conciliator or any of the party to the proceedings, extend the period for mediation or conciliation by such period not exceeding three months.

20. Parties to act in good faith.— All the parties shall commit to participate in the proceedings in good faith with the intention to settle the dispute.

21. Confidentiality, disclosure and inadmissibility of information .—(1) When a mediator or conciliator receives factual information concerning the dispute from any party, he shall disclose the substance of that information to the other party, so that the other party may have an opportunity to present such explanation as it may consider appropriate :

Provided that when a party gives information to the mediator or conciliator subject to a specific condition that the information may be kept confidential, the mediator or conciliator shall not disclose that information to the other party.

(2) The receipt or perusal, or preparation of records, reports or other documents by the mediator or conciliator, while serving in that capacity shall be confidential and the mediator or conciliator shall not be compelled to divulge information regarding those documents nor as to what transpired during the mediation or conciliation before the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal or as the case may be, or any other authority or any person or group of persons.

(3) The parties shall maintain confidentiality in respect of events that transpired during the mediation and conciliation and shall not rely on or introduce the said information in other proceedings as to —

- (i) views expressed by a party in the course of the mediation or conciliation proceedings ;
- (ii) documents obtained during the mediation or conciliation which were expressly required to be treated as confidential or other notes, drafts or information given by the parties or the mediator or conciliator.
- (iii) proposals made or views expressed by the mediator or conciliator ;
- (iv) admission made by a party in the course of mediation or conciliation proceedings.
- (4) There shall be no audio or video recording of the mediation or conciliation proceedings.
- (5) No statement of parties or the witnesses shall be recorded by the mediator or conciliator.

22. Privacy.— The mediation or conciliation sessions or meetings shall be conducted in privacy where the persons as mentioned in rule 13 shall be entitled to represent parties but other persons may attend only with the permission of the parties and with the consent of the mediator or conciliator.

23. Protection of action taken in good faith .—No mediator or conciliator shall be held liable for anything, which is done or omitted to be done by him, in good faith during the mediation or conciliation proceedings for civil or criminal action nor shall be summoned by any party to the suit or proceeding to appear before the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, to testify regarding information received by him or action taken by him or in respect of drafts or records prepared by him or shown to him during the mediation or conciliation proceedings.

24. Communication between mediator or conciliator and the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal.—In order to preserve the confidence of parties in the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal as the case may be and the neutrality of the mediator or conciliator, there shall be no communication between the mediator or conciliator and the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, in the subject matter :

Provided that, if any communication between the mediator or conciliator and the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, is necessary, it shall be in writing and copies of the same shall be given to the parties or the authorised representative :

Provided further that communication between the mediator or conciliator and the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, shall be limited to communication by the mediator or conciliator:

- (i) about the failure of the party to attend ;
- (ii) about the consent of the parties ;
- (iii) about his assessment that the case is not suited for settlement through the mediation or conciliation;
- (iv) about settlement of dispute between the parties.

25. Settlement agreement .— (1) Where an agreement is reached between the parties in regard to all the issues or some of the issues in the proceeding, the same shall be reduced to writing and signed by the parties and if any counsel has represented the parties, the conciliator or mediator may also obtain the signature of such counsel on the settlement agreement.

(2) The agreement of the parties so signed shall be submitted to the mediator or conciliator who shall, with a covering letter signed by him, forward the same to the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be.

(3) Where no agreement is reached at between the parties, before the time limit specified in rule 19, or where the mediator or conciliator is of the view that no settlement is possible, he shall report the same to the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, in writing.

26. Fixing date for recording settlement and passing order .—(1) The Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal as the case may be, shall fix a date of hearing normally within fourteen days from the date of receipt of the report of the mediator or conciliator under rule 25 and on such date of hearing, if the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, is satisfied that the parties have settled their dispute, it shall pass an order in accordance with terms thereof.

(2) If the settlement disposes of only certain issues arising in the proceeding, on the basis of which any order is passed as stated in sub-rule (1), the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, shall proceed further to decide the remaining issues.

27. Expenses of the mediation and conciliation.—(1) At the time of referring the matter to the mediation or conciliation, the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, may fix the fee of the mediator or conciliator and as far as possible, a consolidated sum may be fixed rather than for each session or meeting.

(2) The expense of the mediation or conciliation including the fee of the mediator or conciliator, costs of administrative assistance and other ancillary expenses concerned, shall be borne equally by the various contesting parties or as may be otherwise directed by the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be.

(3) Each party shall bear the costs for production of witnesses on his side including experts or for production of documents.

(4) The mediator or conciliator may, before the commencement of the mediation or conciliation, direct the parties to deposit equal share of the probable costs of the mediation or conciliation including the fees to be paid to the mediator or conciliator.

(5) If any party or parties do not pay the amount referred to sub-rule (4), the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, shall on the application of the mediator or conciliator, or any party, issue appropriate directions to the concerned parties.

(6) The mediation or conciliation shall commence only on the deposit of amount referred to in sub-rule (4) and in case amount is not paid before such commencement, the mediation or conciliation shall be deemed to have terminated.

28. Ethics to be followed by Mediator or Conciliator.—The mediator or conciliator shall—

- (a) follow and observe the rules strictly and with due diligence ;
- (b) not carry on any activity or conduct which shall reasonably be considered as conduct unbecoming of a mediator or conciliator ;
- (c) uphold the integrity and fairness of the mediation or conciliation process;
- (d) ensure that the parties involved in the mediation or conciliation are fairly informed and have an adequate understanding of the procedural aspects of the process ;
- (e) satisfy himself or herself that he or she is qualified to undertake and complete the assignment in a professional manner ;
- (f) disclose any interest or relationship likely to affect impartiality or which might seek an appearance of partiality or bias ;
- (g) avoid, while communicating with the parties, any impropriety or appearance of impropriety ;
- (h) be faithful to the relationship of trust and confidentiality imposed in the office of mediator or conciliator ;
- (i) conduct all proceedings related to the resolutions of a dispute, in accordance with the relevant applicable law ;
- (j) recognise that the mediation or conciliation is based on principles of self-determination by the parties and that the mediation or conciliation process relies upon the ability of parties to reach a voluntary, undisclosed agreement ; and
- (k) maintain the reasonable expectations of the parties as to confidentiality and refrain from promises or guarantees of results.

Provided that if any party finds conduct of mediator or conciliator violative of ethics laid down in this rule, the party may immediately bring it to the notice of the Regional Director.

29. Resort to arbitral or judicial proceedings .—The parties shall not initiate, during the mediation or conciliation under these rules, any arbitral or judicial proceedings in respect of a matter that is the subject-matter of the mediation or conciliation, except that a party may initiate arbitral or Judicial proceedings, where, in his, opinion, such proceedings are necessary for protecting his rights.

30. Matters not to be referred to the mediation or conciliation.—The following matters shall not be referred to mediation or conciliation, namely :—

- (a) the matters relating to proceedings in respect of inspection or investigation under Chapter XIV of the Act; or the matters which relate to defaults or offences for which applications for compounding have been made by one or more parties.
- (b) cases involving serious and specific allegations of fraud, fabrication of documents forgery, impersonation, coercion etc.
- (c) cases involving prosecution for criminal and non-compoundable offences.
- (d) cases which involve public interest or interest of numerous persons who are not parties before the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal as the case may be.

FORM MDC-1

[See rule 3(3) of the Companies (Mediation and Conciliation) Rules, 2016]

Application for Empanelment of Mediator or Conciliator on the Panel

To

The Regional Director _____

I S/o or D/o or W/o* resident of
 (address) am hereby pleased to offer my services as
 Mediator or Conciliator so as to take up any assignment or matters referred
 by the Central Government at the places furnished hereunder:

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

I possess requisite qualifications and experience in the following fields for the past ____ years. In this regard, my resume or an illustrative memoranda as to my qualifications, experience, notable achievements with relevant proofs and declaration are enclosed hereto in two sets duly attested.

Area of Experience in brief :

I shall abide by the Companies (Mediation and Conciliation) Rules, 2016 and such other relevant rules or Code of Conduct or Guidelines as may be specified from time to time.

I state that upon the receipt of the intimation of offer of empanelment, the necessary documentation shall also be executed.

I request you to consider my application for empanelment in the Panel.

Place :

Dated :

Signature

Encl :

(Seal)

*Strike off whichever is not applicable.

FORM MDC-2

[See rule 6(2) of the Companies (Mediation and Conciliation) Rules, 2016]

Application for referring the matter to the Panel

To

The (Designated Officer)

The Central Government/Tribunal/Appellate Tribunal.

IS/o or D/o or W/o*.....resident of
.....(address) being a party in the proceeding before Central Government/Tribunal/Appellate
Tribunal under sectionof the Act bearing reference number(if any) hereby apply for
referring the matter to the Mediation and Conciliation Panel.

The requisite fee has been paid vide(details of fees paid).

Place :

Dated :

SIGNATURE

* Strike off whichever is not applicable

[F. No.1/36/2013-CL. V]

AMARDEEP S BHATIA, Jt. Secy.